संवाददाता पटना

नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स वसूली में तेजी लाने के लिए संविदा पर कर संग्राहकों का नियुक्त किया जायेगा. इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग जल्द प्रक्रिया शुरू करेगा. पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विभाग में समीक्षा बैठक की थी, जिसमें उन्होंने संविदा के आधार पर कर संग्राहकों की नियुक्ति का निर्देश दिया था.

जल्द विज्ञापन निकलेगा

जिन कर संग्राहकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जायेगी, उन्हें वसूल की गयी राशि का चार फीसदी कमीशन दिया जायेगा. इससे फायदा यह होगा कि ये कर संग्राहक अधिक-से-अधिक वसूली करेंगे. इसके लिए जल्द विज्ञापन निकाला जायेगा. कितनी संख्या में कर संग्राहकों को बहाल किया जाये, इसके लिए अभी नगर निगम के अधिकारियों के साथ बातचीत की जा रही है. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में पटना नगर निगम क्षेत्र में करीब 150 कर संग्राहक हैं, जिनमें कई संविदा पर भी बहाल हैं. स्थायी कर संग्राहकों की तुलना में संविदा पर नियुक्त कर संग्राहकों का प्रदर्शन काफी अच्छा है.

वसूली में आयेगी तेजी

अधिकारियों ने बताया कि कर संग्राहकों की संख्या अधिक रहने पर वसूली में तेजी आयेगी. पिछले वर्ष होल्डिंग टैक्स व अन्य करों के रूप में 31.32 करोड रुपये की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन उसके विरुद्ध 23.22 करोड रुपये की ही वसूली की जा सकी. नगर निगमों में आय का सबसे बडा स्रोत कर वसूली ही होता है, इसलिए इसमें तेजी लाने पर जार दिया जा रहा है.

वार्डों में भी व्यवस्था

वर्तमान में नगर निगम क्षेत्र में छह नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित हैं. यहां लोग खुद आकर टैक्स जमा करते हैं. ऐसी व्यवस्था नगर निगम के हर वार्ड में भी करने पर विचार किया जा रहा है. इसस लोग अपने पास स्थित केंद्र पर जा कर टैक्स जमा कर सकेंगे.